



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032024-253312  
CG-DL-E-22032024-253312

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1453]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 22, 2024/चैत्र 2, 1946

No. 1453]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 22, 2024/CHAITRA 2, 1946

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2024

का.आ. 1522(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कच्चे तेल के परिवहन के लिए, न्यू मुंद्रा-पानीपत पाइपलाइन परियोजना के तहत, चुडवा गांव से पानीपत तक पाइपलाइन को तालुका: रापर जिला: कच्छ, राज्य गुजरात में बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिस में उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए, उसमें उपयोग के अधिकार अर्जन के सम्बन्ध में श्री भरत जे. अकूवाला, अपर समाहर्ता (अवकाश प्राप्त) सक्षम प्राधिकारी, न्यू मुंद्रा पानीपत कच्चा तेल पाइपलाइन परियोजना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, प्लोट

नं. 346 एवं 347, वार्ड नं. 12 बी, गांधीधाम, जिला – कच्छ, गुजरात – 370201, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची					
तालुका -रापर		जिला- कच्छ	राज्य- गुजरात		
क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	लखपत (बांभणसर)	61	00	15	13
		96	02	69	90
		60	00	00	23
		64	00	04	37
		66	00	58	35
		67	00	46	67
		68	00	41	63

[फा. सं. आर-11017/5/2022-ओआर-I/ई-44402]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

### MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2024

**S.O. 1522(E).**—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest to lay Crude Oil Pipeline from Chudva to Panipat under New Mundra - Panipat Pipeline Project by Indian Oil Corporation Limited in Taluka **Rapar** of **Kutch** District in State of Gujarat.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed to this notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the General Public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Shri Bharat J. Akruwala, Additional Collector (Retd.) Competent Authority, New Mundra Panipat Pipeline Project, Indian Oil Corporation Limited, Plot No. 346 & 347, Ward No. 12 B, Gandhidham, District Kutch, Gujarat – 370201.

SCHEDULE					
Taluka:- Rapar		District:- Kutch	State :- Gujarat		
Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Area	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	Lakhpat (Bambansar)	61	00	15	13
		96	02	69	90
		60	00	00	23
		64	00	04	37
		66	00	58	35
		67	00	46	67
		68	00	41	63

[F. No. R-11017/5/2022-OR-I /E-44402]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.